न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 26/2018 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 15.10.2018
G.C.M.S. NO. :- 2018/00101

किशनलाल पिता धन्ना जी कुम्हार जाति कुम्हार, उम्र 45 वर्ष निवासी जाशमा रोड़ भूपालसागर, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

–निगराकार

बनाम

1–मृत्तक सोहनी बाई पत्नि धन्ना जी कुम्हार निवासी जाशमा रोड़ भूपालसागर, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) के बजाएः–

1/1–नारायण लाल पिता धन्ना जी कुम्हार उम्र वयस्क, निवासी जाशमा रोड़ भूपालसागर, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ हाल प्रताप चौराहा फतहनगर, जिला उदयपुर (राज.)

2–ग्राम पंचायत भूपालसागर जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत भूपालसागर, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

3–ग्राम पंचायत भूपालसागर जरिये सचिव, ग्राम पंचायत भूपालसागर, तहसील भूपलासागर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

4–प्रकाश दास पिता परसराम जी जाति बैरागी आयु 40 वर्ष, निवासी तुरकियाखेड़ा, तहसील रेलमंगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

–गैर निगराकारगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 26/2018 (नि.पं.)
किशनलाल पिता धन्ना जी कुम्हार निवासी जाशमा रोड़ भूपालसागर बनाम मृत्तक सोहनी बाई के बजाएः– नारायण पिता धन्ना जी कुम्हार निवासी हाल प्रताप चौराहा फतहनगर, जिला उदयपुर वगैरा

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम विरूद्ध पट्टा संख्या 16 दिनांक 02.05.2018 एवं प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 12.01.2018 ग्राम पंचायत भूपालसागर, पंचायत समिति, भूपालसागर

उपस्थिति 1:– श्री भैरूलाल सालवी, अधिवक्ता निगराकार
2:– श्री किशन सिंह गाड़न, अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 2 व 3
3:– श्री नरेश शर्मा, अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 4

निर्णय

दिनांक 08.08.2024

निगराकार द्वारा यह निगरानी इस आशय की प्रस्तुत की है अधीनस्थ ग्राम पंचायत भूपालसागर द्वारा उत्तर–दक्षिण की ओर 60 फीट, पूर्व की ओर 23 व पश्चिम 25 फीट कुलिया 1440 वर्ग फीट का पट्टा संख्या 16 दिनांक 02.05.2018 सोहनी बाई के नाम जारी किया जो अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है क्योंकि उक्त विवादित भूखण्ड निगराकार के कब्जे व हिस्से का है। निगराकर के पिता के जीवनकाल से ही मौखिक बंटवाडे से गैर निगराकार के पास है। गोपीलाल जी की मृत्यु के बाद वंशानुगत धन्नालाल जी का कब्जा रहा और धन्नाजी की मृत्यु के बाद धन्नाजी के पुत्र किशनलाल जो कि निगराकार है के हिस्से में आया, जो काबिज है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने से पूर्व नियमानुसार कार्यवाही नहीं की, विधिवत् मिसल कायम नहीं की ओर विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 व 3 से सांठ–गांठ कर गलत पट्टा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 26/2018 (नि.पं.)
किशनलाल पिता धन्ना जी कुम्हार निवासी जाशमा रोड़ भूपालसागर बनाम मृत्तक सोहनी बाई के बजाएः– नारायण पिता धन्ना जी कुम्हार निवासी हाल प्रताप चौराहा फतहनगर, जिला उदयपुर वगैरा

जारी कराया जो निरस्त योग्य है। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत भूपालसागर द्वारा जारी पट्टा संख्या 16 दिनांक 02.05.2018 निरस्त फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारगण को सूचना पत्र जारी किये गये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से विवादित पट्टे से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत भूपालसागर ने पट्टे से संबंधित रेकार्ड/अभिलेख प्रस्तुत किया। गैर निगराकार संख्या 1/1 की ओर से अधिक्ता श्री बगदीराम धाकड़ ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया दौराने बहस गैर निगराकार संख्या 1/1 एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। गैर निगराकार संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री किशन सिंह गाड़न एवं गैर निगराकार संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश शर्मा ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। उभय पक्ष के बहस हेतु सहमत होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने कथन किया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत, भूपालसागर ने सोहनी बाई के पक्ष में जो पट्टा संख्या 16 दिनांक 02.05.2018 जारी किया वो न्याय नियम एवं वाक्याति तथ्यों के विपरीत होने तथा अनियमितता पूर्ण कार्यवाही कर जारी करने से निरस्त योग्य है। उक्त विवादित भूखण्ड धन्नाजी के जीवनकाल से ही मौखिक बंटवाडे से निगराकार के हिस्से में आया तथा उक्त सम्पत्ति मौरूसी है। निगराकार सोहनी बाई का पुत्र है तथा निगराकार का पुत्र मयूर सोहनी बाई से दुरभि संधि कर उक्त पट्टा सोहनी बाई के नाम विपक्षी संख्या 2 व 3 से जारी करवाया जबकि ग्राम पंचायत ने उक्त नोहरे को मौरूसी मानते हुए सोहनी बाई का निगराकार को वैधानिक उत्तराधिकारी माना है और विधिवत आवेदन करने पर निगराकार का हिस्सा दर्ज कर देने हेतु कहा है। उक्त भूखण्ड पर निगराकार का कब्जा है दिनांक 08.04.2015 को निगराकार ने उक्त नोहरे की एक दूकान नाथू पिता चेना नायक को किराये पर दी जिस पर नाथूलाल ने अपने नाम विद्युत कनेक्शन लेकर वेल्डिंग की दूकान चला रहा है जिसके मीटर संख्या 1709/0076 है उक्त भूखण्ड पर नाथूलाल को कनेक्शन की

सत्यमेव जयते
Web Copy – Not Official

अनापत्ति भी सरपंच रिना खरेलवा ने ही दी। उक्त विद्युत आवेदन में निगराकार के द्वारा नाथूलाल के पक्ष में किराया नामा जारी किया गया, दूकान किराये पर दी जिससे निगराकार का विवादित भूखण्ड पर स्पष्ट कब्जा साबित होता है। निगराकार ने दिनांक 06.09.2018 को उक्त नोहरा मौरूसी होने व विवादित होने संबंधी सूचना का प्रकाशन समाचार पत्र में करवाया परन्तु सोहनी बाई ने निगराकार के पुत्र मयूर से दुरभि संधि कर केता प्रकाश दास के साथ मिलकर दौराने कार्यवाही न्यायालय की बिना मंजूरी के दिनांक 05.09.2019 का हस्तान्तरण किया जो हस्तान्तरण सम्पत्ति अधिनियम धारा 52 के अनुसार अंतरित या व्ययनित नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व विधिवत् मिसल कायम नहीं की। मौका निरीक्षण नहीं किया ना ही आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु उजरदारी नोटिस/सूचना पत्र जारी किया सारी कार्यवाही गुपचुप तरीके से करते हुए यह पट्टा जारी किया है जो निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत, भूपालसागर द्वारा सोहनी बाई के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 16 दिनांक 02.05.2018 निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 2 व 3 का मुख्य कथन यह रहा कि ग्राम पंचायत, द्वारा सोहनी बाई के नाम पर जो कि करता खानदान होने के कारण पट्टा जारी किया गया है तथा जब पट्टा जारी किया गया तब व उससे पूर्व आवेदन के समय सोहनी बाई के कब्जे की रिपोर्ट एवं मौके का भौतिक सत्यापन आदि करने के बाद सोहनीबाई का विवादित भूखण्ड पर कब्जा होने से विधि की अनुपालना में पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत् मिसल कायम कर मौका निरीक्षण कर आपत्तियां आमंत्रित की गई तथा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर पट्टा जारी किया गया है जो निगराकार की पूर्ण जानकारी में किया गया है। पट्टा जारी करने के समय निगराकार को पट्टे के संबंध मे कोई आपत्ति नहीं थी अब पारिवारिक विवाद होने से यह गलत तथ्यों के आधार पर निगरानी प्रस्तुत की है जो निरस्त योग्य है। अतः निगरानी खारिज फरमावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 26/2018 (नि.पं.)
किशनलाल पिता धन्ना जी कुम्हार निवासी जाशमा रोड़ भूपालसागर बनाम मृत्तक सोहनी बाई के बजाएः– नारायण पिता धन्ना जी कुम्हार निवासी हाल प्रताप चौराहा फतहनगर, जिला उदयपुर वगैरा

विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 4 का मुख्य कथन यह रहा कि निगरानी में वर्णित उपरोक्त पड़ौसो के मध्य स्थित 1440 वर्गफीट परिक्षेत्र का पट्टा विलेख जो कि आवासीय मकान के रूप में निर्मित होकर इस जायदाद में गैर निगराकार संख्या 4 दिनांक 05.09.2019 से काबिज होकर इस जायदाद में गैर निगराकार संख्या 4 द्वारा इस सम्पत्ति पर पुराने निर्मित कमरों को हटाकर आवासीय मकान का निर्माण कराकर निवासरत है। निगराकार ने उक्त वर्णित सम्पत्ति को धन्ना पिता गोपू कुम्हार की पैतृक बताकर अपने हक–हिस्से में मौखिक बंटवाडे अनुसार आना दर्शित कर यह निगरानी प्रस्तुत की है जबकि वास्तविकता को छिपाकर यह निगरानी प्रस्तुत की है। निगराकार द्वारा उक्त विवादित भूखण्ड/सम्पत्ति के संदर्भ में न्यायालय सिविल न्यायाधीश कपासन में एक वादपत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा हेतु गैर निगराकार मयूर पिता किशनलाल एवं अपनी माता सोहनीबाई बेवा धन्ना जी कुम्हार व अपने सगे भाई नारायण पिता धन्ना जी कुम्हार के विरूद्ध प्रस्तुत किया एवं उपरोक्त वादपत्र में माननीय सिविल न्यायालय द्वारा उपरोक्त जायदाद निगराकार की पैतृक सम्पत्ति होने व निगराकार के कब्जे की होने बाबत तनकी कायम की गयी एवं उपरोक्त तनकी पर किसी भी प्रकार की साक्ष्य निगराकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप माननीय सिविल न्यायालय ने जरिये प्रकरण संख्या 45/2018 ई. दी. उनवान किशनलाल बनाम मयूर वगैरा में दिनांक 18.12.2019 को किशनलाल द्वारा पट्टेशुदा प्रश्नगत सम्पत्ति के संबंध में प्रस्तुत वादपत्र को खारिज किये जाने का आदेश पारित किया है। उक्त तथ्यों को छिपाकर निगराकार द्वारा अंतिम निष्कर्ष में विफल होने के पश्चात् यह निगरानी याचिका असत्य कथनों के आधार पर प्रस्तुत की है जो निरस्त योग्य है। विवादित भूखण्ड/ सम्पत्ति स्व. श्रीमति सोहनीबाई पत्नि धन्ना कुम्हार की वैधानिक स्वामित्व की सम्पत्ति होने एवं उक्त सम्पत्ति श्री धन्ना पिता गोपू कुम्हार की स्वअर्जित होकर श्री धन्ना द्वारा उक्त सम्पत्ति स्व. सोहनीबाई को जरिये पंजीकृत वसीयत नामा दिनांक 17.09.2004 को वसीयत के माध्यम से प्रदत्त करने के उपरांत उक्त सम्पत्ति तक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 26/2018 (नि.पं.)
किशनलाल पिता धन्ना जी कुम्हार निवासी जाशमा रोड़ भूपालसागर बनाम मृत्तक सोहनी बाई के बजाएः– नारायण पिता धन्ना जी कुम्हार निवासी हाल प्रताप चौराहा फतहनगर, जिला उदयपुर वगैरा

मुस्मात सोहनी बाई का आधिपत्य होने एवं पुराना आवासीय मकान निर्मित होने के आधार पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत नियम 1996 की धारा 157 के प्रावधानानुसार सोहनीबाई को उनके पति स्व. धन्ना की वसीयत अनुसार प्राप्त जायदाद जो कि पुराने आवासीय मकान के रूप में निर्मित थी का विनियमितिकरण करते हुए संकल्प संख्या 5 दिनांक 12.01.2018 को प्रस्ताव लेकर दिनांक 02.05.2018 को उपरोक्त पट्टा सोहनी बाई के पक्ष में जारी किया गया है जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गई है। उक्त पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 17.09.2004 की विधितः जानकारी निगराकार को प्रारम्भ से ही है एवं उक्त अंतिम इच्छा–पत्र के आधार पर उक्त भूखण्ड का पट्टा स्व. सोहनीबाई के नाम जारी हुआ है। गैर निगराकार संख्या 4 प्रकाशदास पिता परसराम बैरागी द्वारा उपरोक्त पट्टेशुदा भूखण्ड दिनांक 05.09.2019 को 2,25,000/– रूपया विक्रय प्रतिफल राशि अदायगी करते हुए श्रीमति सोहनीबाई से क्रय की गई एवं क्रय करने के उपरान्त इस जायदाद पर मुझ गैर निगराकार संख्या 4 का आधिपत्य होकर इस पर पक्का निर्माण करा वर्तमान में इस जायदाद का उपयोग–उपभोग कर रहा है। निगराकार द्वारा अपनी निगरानी में उक्त भूखण्ड पैतृक पुश्तैनी होना तथा उस पर निगराकार का आधिपत्य होने संबंधी मनगढ़न्त तथ्य अंकित किये हैं। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से प्राप्त अभिलेख एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार अधिवक्ता निगराकार ने विवादित भूखण्ड निगराकार के स्वामित्व एवं आधिपत्य में होने का कथन किया है किन्तु अपने कथन की पुष्टि में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे विवादित भूखण्ड निगराकार के स्वामित्व एवं आधिपत्य में होने के कथन की पुष्टि होती हो। यद्यपि निगराकार द्वारा एक अनुबंध पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की है जिसमें नाथूलाल पिता चैना जी नायक निवासी धन्ना का खेड़ा, ग्राम पंचायत उसरोल को एक दूकान जो वार्ड नं. 05 में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

स्थित होकर अनुबंध पत्र में निगराकार ने अपने स्वामित्व की होना बताया है किराये पर नाथूलाल को देना अंकित किया है तथा उक्त दूकान पर नाथूलाल पिता चैना नायक द्वारा विद्युत कनेक्शन हेतु प्रस्तुत आवेदन की छायाप्रति पेश की है किन्तु उक्त दस्तावेजों से विवादित भूखण्ड पर निगराकार का स्वामित्व एवं पुश्तैनी होना सिद्ध/प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

निगराकार द्वारा विवादित भूखण्ड मौरूसी होने एवं मौखिक बंटवाडे अनुसार स्वयं के हिस्से में होना बताया है किन्तु अपने कथन की पुष्टि में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उक्त भूखण्ड मौरूसी होने एवं मौखिक बंटवाडे अनुसार स्वयं के हिस्से में आने संबंधी कथन की पुष्टि होती हो। जबकि गैर निगराकार संख्या 4 ने एक पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 17.09.04 की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें निगराकार के पिता स्व. धन्ना जी ने अपने स्वअर्जित विवादित भूखण्ड एवं समस्त चल व अचल सम्पत्ति (आबादी व बेरूनी), सोना, चांदी, जर, जेवर, रूपया आदि समस्त स्व. सोहनीबाई जो कि निगराकार की माता है के पक्ष में वसीयत की है जिससे विवादित भूखण्ड पर स्व. सोहनीबाई के स्वामित्व एवं कब्जे संबंधी पुष्टि स्पष्ट प्रतिवेदित है।

जहां अधिवक्ता निगराकार द्वारा अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की पालना नहीं करने, मिसल कायम नहीं करने, मौका निरीक्षण नहीं करने तथा आपत्तियों के संबंध में सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं करने का कथन किया है वहां भी हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि इस न्यायालय में पेश अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत में स्व. सोहनी बाई द्वारा आवेदन करने पर ग्राम पंचायत ने स्व. सोहनी बाई के पक्ष में पट्टा जारी करने से पूर्व मिसल कायम की है नजरी नक्शा बनाया गया है तथा तीन पंचों की कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की है साथ ही आक्षेप आमंत्रित करने हेतु अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने एक माह का आपत्तियों के संबंध में नोटिस/सार्वजनिक सूचना पत्र भी जारी किया है जिसे विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि के सहजदृश्य स्थान पर जिन व्यक्तियों के समक्ष चस्पा किया है उन व्यक्तियों के नोटिस/सार्वजनिक सूचना पत्र

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की कार्यालय प्रति के पुष्ठ भाग पर हस्ताक्षर अंकित है तथा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर दिनांक 02.05.2018 को उक्त पट्टा जारी किया है। यदि विवादित भूखण्ड निगराकार के स्वामित्व एवं कब्जे का था तो उस समय निगराकार को ग्राम पंचायत में आपत्ति प्रस्तुत करनी चाहिए थी जो कि उनके द्वारा नहीं की गई है।

निगराकार द्वारा केवल मात्र निगरानी में ग्राम पंचायत द्वारा अनियमितता के संबंध में किये गये कथन के आधार पर हम यह पट्टा निरस्त किया जाना उचित नहीं मानते हैं। साथ ही निगराकार ने अपनी निगरानी में अंकित अन्य तथ्यों को भी प्रमाणित नहीं कराया है तथा अपने विवादित भूखण्ड पर कब्जे एवं मौरूसी होने संबंधी कथन की भी पुष्टि नहीं कराई है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है तथा पट्टा संख्या 16 दिनांक 02.05.2018 यथावत रखा जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(राकेश कुमार)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official